



स मा चार

अध्यक्षीय कार्यकाल का एक वर्ष

श्री गिरीश गौतम

अध्यक्ष, मप्र विधानसभा

संसदीय परंपराओं का पालन

समर्पण, सेवा, सादगी

सदन/ समितियों के संबंध में

- (1) सदन एवं सदस्यों से संबंधित विभिन्न विषयों / मुद्दों पर अध्यक्ष को परामर्श देने संबंधी समिति।
- (2) पिछड़ावर्ग – कल्याण – समिति ।
- (3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति ।
- (4) शिष्टाचार एवं सम्मेलन अनुरक्षण समिति संबंधी प्रथम बार चार समितियों का गठन किया गया ।
- (5) 9 मार्च महिला दिवस पर सभापति श्रीमती झूमा सोलंकी को सदन की कार्यवाही का संचालन का दायित्व दिया तथा महिला विधायकों ने प्रश्न पूछे ।
- (6) 1954 से लेकर 2021 तक 1161 शब्द एवं वाक्यों को असंसदीय माना गया एवं पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा विलोपित किया गया । जिसका संकलन तैयार कर प्रकाशन किया गया, जिसका उद्देश्य वर्तमान माननीय सदस्य इन विलोपित शब्दों का उल्लेख सदन में न करें ।
- (7) प्रश्नकाल में लिखित प्रश्न पढ़ने एवं दोहराने की अनुमति नहीं होगी संबंधित प्रश्न के पूरक प्रश्न ही माननीय सदस्य पूछ सकते हैं जिससे 1 घंटे में अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो सके इसका प्रयास किया गया एवं किया जा रहा है ।
- (8) माननीय मंत्री जी जिस तरह तारांकित प्रश्न के उत्तर की ब्रिफिंग (तैयारी) विभाग के अधिकारियों द्वारा कराई जाती है उसी तरह सम्मेलन कक्ष में माननीय विधायकों की ब्रिफिंग वरिष्ठ सदस्यों के साथ सचिवालय द्वारा कराया जा रहा है ।



स मा चार

- (9) 15वीं विधान सभा में प्रथम बार के 82 सदस्य चुनकर आये हैं इन सदस्यों को सदन में एक दिन का प्रश्नकाल का समय विगत सत्रों में दिया गया जिसमें अधिक से अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया।
- (10) विधान सभा के संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2008 से नहीं दिए गए हैं। अब विधान सभा संसदीय पुरस्कार फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें श्रेष्ठ मंत्री, विधायकों के साथ ही विधान सभा के श्रेष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों का चयन होगा।
- (11) पत्रकार जगत से दो पुरस्कार हैं संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार – (प्रिंट) प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी की स्मृति में संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार एवं (इलेक्ट्रॉनिक) वरिष्ठ पत्रकार मणिशंकर बाजपेयी की स्मृति में।
- (12) विधायक पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा की स्मृति में दिया जावेगा तथा मंत्री पुरस्कार प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल की स्मृति में दिया जावेगा।
- (13) आमजन की समस्याओं का अभ्यावेदन स्वीकार कर निराकरण किये जाने के प्रयास हो रहे हैं।
- (14) विधान सभा की वित्तीय समितियों के साथ अन्य समितियों को भी शसक्त बनाने का प्रयास किया गया है। विशेषकर आश्वासन समिति एवं प्रश्न संदर्भ समिति के आश्वासनों की पूर्ति तथा और अधिक समिति की बैठके हो इस पर निरंतरता जारी है।
- (15) विधान सभा की समितियों में माननीय सदस्य अधिक से अधिक उपस्थित रहें इस पर विशेष प्रयास किया जा रहा है।
- (16) विधान सभा समितियों में विभागीय अधिकारी साक्ष्य में विशेष कारण होने पर ही अनुपस्थिति रह सकेगे, नहीं तो समिति के अनुरोध पर अध्यक्ष इसे संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित होगी।

राज्य के बाहर मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रतिनिधित्व / सम्मेलन / आमंत्रण

- (1) 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शिमला में प्रारंभ हुआ जिसमें म.प्र. की ओर से स्टेडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित किया जिसमें कहा गया कि लोक सभा अध्यक्ष कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकते हैं जो देश की सभी विधान सभाओं में लागू किया जा सके। तथा अपने उद्बोधन में कहा था कि बिना बहस के पास होने पर कानूनों के विषय पर विचार किया जाना चाहिये। विशेष कर दांडिक अपराध के लिए तैय होने वाले ऐसे कानूनों पर सदन में बहस अत्यन्त आवश्यक है।
- (2) पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान विधान सभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने लोक सभा स्पीकर के सामने सुझाव रखा था कि वर्तमान में सिर्फ गुजरात विधान सभा की अध्यक्ष महिला है इसलिए वहां की अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन भावेश भाई आचार्य को पीठासीन सम्मेलन में सभापति बनाया जाय, लोक सभा अध्यक्ष ने इस सुझाव को मानते हुए डॉ. नीमाबेन को सभापति नियुक्त किया। इस कार्य की सदन में एवं देश में काफी प्रसंसा हुई।



स मा चार

- (3) लोकसभा में लोक लेखा समिति के सताब्दी वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन में विधान सभा अध्यक्ष एवं सभापति लोक लेखा एवं प्राक्कलन समिति के साथ प्रमुख सचिव ने भाग लिया तथा वर्ष 2015 में लोक सभा में सम्मेलन में आये सुझावों को लागू किये जाने के साथ और अधिक लोक लेखा समिति शसक्त बने इस पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
- (4) उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष से मुलाखात एवं उप समिति पीठासीन की मध्यप्रदेश में बैठक किये जाने का आमंत्रण।
- (5) माननीय लोक सभा अध्यक्ष से मुलाखात कर मध्यप्रदेश में भी पीठासीन सम्मेलन किया जावे, इस तरह का प्रस्ताव म.प्र.विधान सभा की ओर से दिया गया।
- (6) मानी जानी पूना की संस्था 'भारतीय छात्र संसद' का 23 से 28 सितम्बर, का आयोजन हुआ जिसमें "राजनीति में युवा – भ्रम और यथार्थ" विषय पर वर्चुयल रूप में संबोधित किया।

विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत कार्य

- (1) विधान सभा के तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के 44 कर्मचारियों को पारी से बाहर आवास मुख्यमंत्री जी से आवंटित कराकर दिये गये। कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्राथमिकता महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में रही शेष बचे मकान अन्य के कर्मचारियों कि दिया गया।
- (2) विधान सभा सचिवालय में प्रथम वार अधिकारियों / कर्मचारियों के समस्याओ पर अभ्यावेदन समिति का गठन किया गया। जिसमें कर्मचारियों को क्रमोन्नति / पदोन्नति / समयमान वेतनमान एवं ग्रेडेशन लिस्ट जैसी आदि समस्याओं का निराकरण 6 माह में किया गया एवं किया जा रहा है।
- (3) उप सचिव स्तर के समस्त अधिकारियों को प्रथम वार राज्य शासन, मंत्रालय के उप सचिव के समान वाहन की सुविधा दी गई है।
- (4) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार नई परम्परा शुरु कर अंतिम छोर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ उनकी समस्याओं के लिए एक अतिरिक्त कक्ष में बैठक की एवं उनकी समस्याएं सुनी एवं निराकरण करने का प्रयास किया गया एवं इसी तरह तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों / अधिकारियों की भी श्रेणीवार वर्गवार पृथक पृथक निरंतर बैठक कर उनका समाधान किया गया। इसी तरह प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भी समस्याएं जानी एवं उसका निदान किया गया। जो निरंतर जारी है।



स मा चार

(5) विधान सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं को आधुनीकरण से सुसज्जित किया जा रहा है। सचिवालय की प्रश्न शाखा, सदस्य सुविधा शाखा सहित अनेक शाखाओं का नया लुक के रूप में सुसज्जित किया गया है। जिससे कर्मचारियों / अधिकारियों में कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(6) रचना नगर आवासीय योजना में माननीय सदस्यों एवं विधान सभा के कर्मचारियों तथा आमजन के लिए सरल एवं सुलभ किया।

विधायकों की सुविधायें

- (1) अवकाश के दिनों में भी रेलवे आरक्षण एवं कूपन सुविधा पहली बार मिल रही है।
- (2) अध्यक्षीय द्वार से माननीय मंत्री / विधायकों को प्रवेश की अनुमति।
- (3) म.प्र.भवन, नई दिल्ली में नया भवन बनाया जा रहा है जिसमें महामहिम राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री की तरह माननीय विधान सभा अध्यक्ष / नेता प्रतिपक्ष का भी कक्ष के साथ माननीय सदस्यों के लिए विशेष आरक्षण सुविधा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- (4) सदन में दिये गये भाषण की आडियो / वीडियो की सुविधा पहली बार प्रारंभ की गई है। माननीय सदन के सदस्यों की दिये गये भाषण की वीडियो पेनड्राईव में तुरंत उपलब्ध होती है।
- (5) विधान सभा की "अ" पार्किंग में माननीय मंत्रियों की तरह विधायकों को पूरी तरह कर दी गई है। एवं आयुक्त, सचिव स्तर के अधिकारियों को "ब" पार्किंग दी गई है।
- (6) प्रथम बार प्रोटोकाल समिति का पृथक से गठन किया गया (मान.सदस्यों की शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति) का गठन किया गया है।



स मा चार

पूर्व विधायकों के संबंध में

विधायक विश्राम गृह में पूर्व विधायकों को निम्नलिखित सुविधायें

- (1) एक माह में 6 दिवस ठहरने एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था निःशुल्क की गई है।
- (2) 25 कमरे पूर्व विधायकों के लिए आरक्षित किये गये हैं। महिला पूर्व विधायकों को पांच कमरे विशेष रूप से हमेशा आरक्षित रहेंगे, जो महिला विधायक को दिया जावेगा।
- (3) भोजनालय में माननीय सदस्यों की तरह पूर्व विधायकों को पृथक से बैठने की व्यवस्था रहेंगी।
- (4) पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायकों को प्रोटोकाल में शामिल किये जाने हेतु विधान सभा द्वारा अनुशंसा कर, शासन में प्रेषित किया गया है।
- (5) पूर्व विधायकों का सम्मेलन प्रस्तावित है।

विन्ध्य के विकास के लिए समर्पण

- (1) जन संवाद कर समस्याओं का निराकरण हेतु "सायकिल यात्रा" निकाली गई, जिसको पूरे प्रदेश / देश में जाना गया।

सायकिल यात्रा एतिहासि क्यों थी ?

- = प्रोटोकाल के बिना यात्रा की गई।
- = आमजन सायकिल यात्रा में शामिल थे।
- = आमजन की समस्याओं का त्वरित निकारण किया गया।
- = लोक संस्कृति / नित्य।
- = आदिवासी / मजदूर परिवारों के साथ भोजन।



स मा चार

- = स्कूल एवं कालेजों में रात्रि विश्राम तथा रुकने का भुगतान किया गया।
 - = खेतों में धान काटने से लेकर स्कूलों में पढ़ाने तक का सफर सायकिल यात्रा में की गई।
 - = ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करने आदि जैसे सामाजिक कार्य भी हुए।
- (2) विगत एक वर्ष में विन्ध्य के लिए सिंचाई / सड़क एवं देवतालाब विधान सभा क्षेत्र के लिये मेरे (मान.अध्यक्ष) अनुरोध पर मान. मुख्यमंत्री जी ने काफी कार्य किये है।
- (3) विन्ध्य को नई रेल (साप्ताहिक) प्राप्त हुई है।
- (4) रेल सुविधा के लिए निरंतर जी.एम. एवं डी.आर.एम.से मुलाखात की गई।
- (5) मरीजों को ठहरने के लिये नागपुर में भवन बनाने का प्रयास .
- (6) रीवा में कैंसर रिसर्च सेंटर / हास्पिटल की स्थापना की पहल जारी है।

विधान सभा में प्रवेश एवं पत्रकार दीर्घा

- (1) पत्रकारों के प्रवेश तथा पत्रकार दीर्घा में कोविड-19 के अंतर्गत बैठने की व्यवस्था का के साथ प्रिंट एवं एलेक्ट्रानिक मीडिया के वार्ता की समुचित व्यवस्था का सरलीकरण करने का प्रयास किया गया।
- (2) WHO के प्रतिनिधियों के साथ म.प्र.विधान सभा के सदस्यों के साथ प्रथम वार बैठक हुई जिसमें कोविड-19 के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु चर्चा हुई।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)
अवर सचिव